न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 08/2025
दायर दिनांक : 10/02/2025
निर्णय दिनांक : 23/06/2025

उनवान

1 हिरालाल पिता गोकल जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1 नारायण पिता कालू जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
2 रतनलाल पिता कालू जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
3 वजहराम पिता जीतू जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
4 किशोर पिता मेघा जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
5 रतनलाल पिता भैरू जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
6 प्रकाश पिता सूरजमल जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
7 नाथूलाल पिता लालू जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
8 हजारी पिता कालू जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
9 भैरूलाल पिता कालू जाट निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
10 चुन्नीलाल पिता हजारी खटीक निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
11 तहसीलदार भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी उपस्थित होकर अप्रार्थी स0 5 7 9 10 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहते है, हस्ताक्षर किए गए। अप्रार्थीगण संख्या 1 2 3 4 6 8 11 बाद सूचना उपस्थित नही आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। **भू अभिलेख निरीक्षक, आकोला**को 500– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि **खाता स0 663के आ.सं. 162 रकबा 0.36 है0, आ.सं. 3039/92 रकबा 0.62 है0, आ.सं. 3041/161 रकबा 2.51 है0, कुल किता 3 रकबा 3.49 है0 खाता स0 664 आ0स0 136 रकबा 0.91 है0 आ0स0 167 रकबा 0.85 है0 आ0स0 168 रकबा 0.67 है0 आ0स0 182 रकबा 0.25 है0 आ0स0 184 रकबा 0.89 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 3.57 है0** भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे स[illegible] भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहसीलदार [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23/06/2025 को इस न्यायालय में सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2025.07.10 14:21:21 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश सुवालका)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौडगढ